**भारत सरकार**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**

**पशुपालन और डेयरी विभाग**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या- 174**

**दिनांक 11 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न**

**दूध की मांग और आपूर्ति का मुद्दा**

**174. श्री विवेक के. तन्खाः**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में दूध की कुल मांग कितनी है;

(ख) दूध का कुल उत्पादन कितना है;

(ग) क्या प्रोटीन आधारित आहार की मांग में वृद्धि होने के कारण इसकी मांग और बढ़ने वाली है, यदि हां, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार यूरोपीय संघ को भारत में दूध की आपूर्ति करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है क्योंकि दूध में मिलावट की खबरें व्याप्त हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री**

**(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)**

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**'दूध की मांग और आपूर्ति का मुद्दा' के संबंध में दिनांक 11.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिये जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *174 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) नीति आयोग की वर्ष 2024 में प्रस्तुत 'क्रॉप हसबैंडरी, एग्रीकल्चर इनपुट, डिमांड एंड सप्लाई' पर वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बिजनेस-एज़-यूज़अल (बीएयू) परिदृश्य में अनुमानित कुल दूध की मांग (घरेलू और अन्य) वर्ष 2019-20 में 186 मिलियन टन थी और यह वर्ष 2025-26 के लिए 243 मिलियन टन है।

(ख) पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा 'एकीकृत नमूना सर्वेक्षण' के माध्यम से किए गए दूध उत्पादन के आकलन के अनुसार भारत में दूध उत्पादन वर्ष 2019-20 में 198.44 मिलियन टन था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 239.30 मिलियन टन हो जाएगा। इसी अवधि के दौरान दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी 406 ग्राम प्रति दिन प्रति व्यक्ति से बढ़कर 471 ग्राम हो गई है। जबकि विश्व दुग्ध उत्पादन 2 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, भारत का दुग्ध उत्पादन वर्ष 2014-23 के दौरान लगभग 5.62 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ रहा है।

(ग) जी हां, दूध की बढ़ती मांग के साथ-साथ उत्पादन भी वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2023-24 में लगभग 5.62 प्रतिशत चक्रवृद्धि दर से बढ़ा है। दूध और दूध उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, देश में दूध की उत्पादकता और उत्पादन में सुधार के लिए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं हैं- राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम), राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम), पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएच और डीसीपी), चारा प्लस किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन और संवर्धन आदि। इन योजनाओं पर एक विस्तृत नोट **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ) जी नहीं। दूध में मिलावट की खबरों को देखते हुए यूरोपीय संघ सहित किसी भी देश को भारत में दूध की आपूर्ति की अनुमति देने पर विचार नहीं किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) दूध में मिलावट को रोकने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत सरकार आत्म-निर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र के लिए कार्य कर रही है। इसलिए, विभाग दूध और दूध के उत्पादों का आयात करने की बजाय उनके निर्यात को बढ़ावा दे रहा है। भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और इसने दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि की है और वैश्विक दूध उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 25% है। इस समय भारत 141 देशों को दूध और दूध के उत्पादों का निर्यात कर रहा है और अन्य देशों को भी निर्यात करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**********

**अनुबंध I**

**श्री विवेक के. तन्खा द्वारा पूछे गए दिनांक 11.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *174 के भाग (ग) में संदर्भित अनुबंध**

देश में डेयरी पशुओं की उत्पादकता में सुधार करके दूध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं इस प्रकार हैं:

(I) पशुपालन और डेयरी विभाग दिसंबर 2014 से देशी नस्लों के विकास एवं संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन तथा बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन का क्रियान्वयन कर रहा है। देशी नस्लों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम: राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, पशुपालन और डेयरी विभाग देशी नस्लों सहित बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान कवरेज का विस्तार कर रहा है। आज तक, 7.3 करोड़ पशुओं को कवर किया गया है, 10.17 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं, जिससे 4.58 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं।

(ii) संतति परीक्षण और नस्ल चयन: इस कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांड़ों का उत्पादन करना है, जिसमें देशी नस्लों के सांड भी शामिल हैं। गिर, साहीवाल नस्ल के गोपशुओं और मुर्रा, मेहसाणा नस्ल की भैंसों के लिए संतति परीक्षण लागू किया जाता है। नस्ल चयन कार्यक्रम के तहत राठी, थारपारकर, हरियाना, कंकरेज नस्ल के गोपशुओं और जाफराबादी, नीली रावी, पंढरपुरी और बन्नी नस्ल की भैंसों को शामिल किया गया है। अब तक 3,988 उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांड़ों का उत्पादन किया गया है और उन्हें सीमन उत्पादन हेतु शामिल किया गया है।

(iii) इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) तकनीक का कार्यान्वयन: देशी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने 22 आईवीएफ प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं और 22,896 व्यवहार्य भ्रूण तैयार किए हैं, जिनमें से 12,846 भ्रूण अंतरित किए गए हैं और 2019 बछड़ों और बछड़ियों का जन्म हुआ है। किसानों को उचित दरों पर तकनीक उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने आईवीएफ मीडिया लॉन्च किया है।

(iv) सेक्स-सॉर्टेड सीमन उत्पादन: विभाग ने गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में स्थित 5 सरकारी सीमन केंद्रों पर सेक्स-सॉर्टेड सीमन उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं। 3 निजी सीमन केंद्र भी सेक्स-सॉर्टेड सीमन खुराक का उत्पादन कर रहे हैं। अब तक उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों से 1.12 करोड़ सेक्स-सॉर्टेड सीमन खुराक का उत्पादन किया गया है और कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपलब्ध कराया गया है।

(v) जीनोमिक चयन: गोपशुओं और भैंसों के आनुवंशिक सुधार में तेजी लाने के लिए, विभाग ने एकीकृत जीनोमिक चिप्स विकसित की हैं- देशी गोपशुओं के लिए गौ चिप और भैंसों के लिए महिष चिप - जो विशेष रूप से देश में जीनोमिक चयन शुरू करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

(vi) ग्रामीण भारत में बहुउद्देश्यीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (मैत्री): इस योजना के तहत किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ देने के लिए मैत्री को प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 38,736 मैत्री को प्रशिक्षित और सुसज्जित किया गया है।

(vii) सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य 90% तक सटीकता के साथ बछड़ियों का उत्पादन करना है, जिससे नस्ल सुधार और किसानों की आय में वृद्धि हो। किसानों को सुनिश्चित गर्भाधान के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन की लागत का 50% तक सहायता मिलती है। अब तक, इस कार्यक्रम से 341,998 किसान लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने किसानों को उचित दरों पर सेक्स सॉर्टेड सीमन उपलब्ध कराने के लिए देशी रूप से विकसित सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक शुरू की है।

(viii) इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) तकनीक का उपयोग करते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: इस तकनीक का उपयोग बोवाइन पशुओं के तीव्र आनुवंशिक उन्नयन के लिए किया जाता है और आईवीएफ तकनीक अपनाने में रुचि रखने वाले किसानों को प्रत्येक सुनिश्चित गर्भाधान पर 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है।

**(II) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम):** विभाग वित्तीय वर्ष 2014-15 से एनएलएम योजना लागू कर रहा है। चारा उत्पादन और संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) लागू कर रही है। एनएलएम के तहत "आहार और चारा" संबंधी उप-मिशन, उद्यमी विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के माध्यम से चारा ब्लॉक / कुल मिश्रित राशन (टीएमआर) इकाइयों और साइलेज बनाने की सुविधाओं की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अतिरिक्त, डेयरी सहकारी समितियों और एफपीओ को बीज प्रसंस्करण और ग्रेडिंग अवसंरचना की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में 50 लाख रु. (या परियोजना लागत का 50%) का अनुदान दिया जाता है।

**(III) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम**: विभाग फरवरी 2014 से पूरे देश में केंद्रीय क्षेत्र योजना- "राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)" को लागू कर रहा है। जुलाई 2014 में, एनपीडीडी योजना का उद्देश्य दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाना और संगठित खरीद, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में हिस्सेदारी बढ़ाना है। इस योजना के दो (2) घटक हैं:-

(i) एनपीडीडी का घटक 'क': एनपीडीडी योजना का घटक क गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरणों के लिए अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़ने वाली प्राथमिक प्रशीतन सुविधाओं पर केंद्रित है। परियोजनाओं के तहत अब तक 19,010 डेयरी सहकारी समितियों का गठन/पुनरुद्धार किया गया, 18.17 लाख नए किसानों को डेयरी सहकारी समितियों की सदस्यता का लाभ दिया गया और 97.23 लाख लीटर अतिरिक्त दूध खरीदा गया। 27.93 लीटर प्रतिदिन नई दूध प्रसंस्करण क्षमता स्थापित की गई है। 112.22 लाख लीटर प्रशीतन क्षमता वाले 5110 बल्क मिल्क कूलर स्थापित किए गए हैं। 38040 स्वचालित दूध संग्रह इकाई और डाटा प्रसंस्करण और दूध विश्लेषक के साथ दूध संग्रह इकाई, 4267 दूध एनालाइज़र और 6266 इलेक्ट्रॉनिक दूध मिलावट परीक्षण उपकरण गांव स्तर की डेयरी सहकारी समितियों में स्थापित किए गए हैं। जिला/क्षेत्रीय स्तर पर 231 सहकारी डेयरी संयंत्र (जिनमें मिलावट परीक्षण उपकरण नहीं हैं) मिलावट का पता लगाने वाले उपकरणों से सुसज्जित किए गए हैं और 17 राज्यों में 18 राज्य स्तरीय प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं।

(ii) एनपीडीडी का घटक ख: सहकारिताओं के माध्यम से डेयरी (डीटीसी): संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करके और उत्पादकों के स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करके दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना, जिससे परियोजना क्षेत्र में दूध उत्पादकों की आमदनी में वृद्धि करने में योगदान दिया जा सके। अब तक डीटीसी एनपीडीडी घटक ख के तहत 35 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिनकी कुल परियोजना लागत 1343.00 करोड़ रुपये है, जिसमें से ऋण घटक 841.55 करोड़ रुपये, अनुदान घटक 388.54 करोड़ रुपये और उत्पादक संस्थानों (पीआई) का हिस्सा 112.92 करोड़ रुपये है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पीआई को आगे संवितरण हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को कुल 216.97 करोड़ रुपये का अनुदान और 195.06 करोड़ रुपये का ऋण जारी किया गया है।

**(IV) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी):** विभाग केन्द्रीय क्षेत्र योजना, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) के माध्यम से सभी आवश्यक पहल करने और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य 100% केन्द्रीय सहायता के तहत खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी), ब्रुसेलोसिस, पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (पीपीआर) और क्लासिकल स्वाइन ज्वर (सीएसएफ) जैसे पशु रोगों और पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी) के तहत राज्य की प्राथमिकता वाले अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी, आकस्मिक और जूनोटिक पशु रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण द्वारा पशु स्वास्थ्य के जोखिम को कम करना है। इसका निधियन पैटर्न केन्द्र और राज्य के बीच 60:40, उत्तर-पूर्वी और पर्वतीय राज्यों के लिए 90:10 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% है। इसके अतिरिक्त, पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण (ईएसवीएचडी-एमवीयू) के घटक के अंतर्गत, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) की खरीद और अनुकूलन के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें आवर्ती परिचालन व्यय हेतु उत्तर-पूर्वी और पर्वतीय राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में; अन्य राज्यों के लिए 60% और संघ राज्य क्षेत्रों

के लिए 100% की सहायता प्रदान की जाती है, ताकि किसानों के द्वार पर टोल-फ्री नंबर (1962) के माध्यम से मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) के द्वारा पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें, जिसमें रोग निदान, उपचार, टीकाकरण, मामूली सर्जिकल हस्तक्षेप, दृश्य-श्रव्य सहायता और विस्तार सेवाएं शामिल हैं।

योजना के अंतर्गत प्रगति: (i) एफएमडी के लिए 99.38 करोड़ से अधिक टीकाकरण किए गए हैं, जिसमें चालू वर्ष के दौरान किए गए 27.92 करोड़ टीकाकरण भी शामिल हैं; (ii) ब्रुसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ब्रुसेलोसिस के लिए लगभग 4.36 करोड़ बछड़ों व बछड़ियों का टीकाकरण किया गया, जिसमें चालू वर्ष के दौरान 1.27 करोड़ बछड़ों व बछड़ियों का टीकाकरण शामिल है; (iii) पीपीआर के लिए कुल 18.4 करोड़ भेड़ और बकरियों का टीकाकरण किया गया; (iv) क्लासिकल स्वाइन ज्वर के लिए लगभग 61 लाख सूअरों का टीकाकरण किया गया और (v) अब तक, 28 राज्यों में 4016 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां कार्य कर रही हैं, 1.23 करोड़ पशुओं का इलाज किया गया और 58.38 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

**(V) चारा प्लस किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन और संवर्धन:**

देश में चारे की कमी को दूर करने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एनडीडीबी को '10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन' योजना के तहत 100 'चारा प्लस एफपीओ' स्थापित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया है। ये एफपीओ स्थानीय व्यापार केंद्रों के रूप में काम करते हैं, जो वाणिज्यिक चारा उत्पादन में छोटे और सीमांत किसानों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस पहल का उद्देश्य डेयरी किसानों और चारा उत्पादकों को उनके उत्पादों, जिसमें हरा चारा, सूखा चारा, साइलेज और चारा बीज शामिल हैं, के लिए एक स्थिर बाजार प्रदान करके समर्थन देना है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य चारा उत्पादकों और डेयरी किसानों दोनों के लिए सतत विकास को बढ़ावा देना है।

**********